

हस्तिनापुर शगर मिल्स, मेरठ के लिये ऋण की स्वीकृति

*४३६. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हस्तिनापुर शगरमिल्स, मेरठ के लिये २४ लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ था, यदि हा, तो यह कब स्वीकृत हुआ था और इस में से अब तक कितना दिया जा चुका है;

(ख) इस मिल को लाइसेंस किस की सिफारिश पर दिया गया था और क्या यह मिल चलने लगी है; और

(ग) इस मिल के मालिक कौन हैं और इस समय तक वहां कितना कार्य हो चुका है ?

†[GRANT OF LOAN TO HASTINAPUR SUGAR MILLS, MEERUT

*439. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a loan of rupees 24 lakhs was sanctioned for the Hastinapur Sugar Mills, Meerut, if so, when it was sanctioned and how much of it has so far been paid;

(b) on whose recommendation the licence was given to this mill and whether this mill has started functioning; and

(c) who are the owners of this mill and how much work has so far been done there?]

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MANUBHAI SHAH): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Administrative approval to a Scheme envisaging the grant of a loan

†[] English translation.

of Rs. 24.00 lakhs—Rs. 20.00 lakhs for land, building and machinery and Rs. 4.00 lakhs for meeting the expenditure on the transport of machinery was given in March, 1958. Sanction for Rs. 4.00 lakhs for the transport of machinery was issued in March, 1959 against which the State Government have disbursed Rs. 2.50 lakhs to the mills. No loan amount out of Rs. 20 lakhs has been yet sanctioned.

(b) Pursuant to the above decision, an industrial licence was given on the recommendation of Ministry of Rehabilitation. The Mill has not yet started functioning.

(c) M/s. B. D. Gupta & Bros., Thaparnagar, Meerut are the owners of the Sugar Mill. The construction work of factory building, godowns, approach roads, electric lines etc. have partially been completed. Machinery for the various plants sections are arriving at site, some in full and some partly.

†[उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) २४ लाख रुपये का ऋण देने की एक योजना को मार्च, १९५८ में प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी थी, जिसमें से २० लाख रुपये भूमि, इमारत और मशीनों के लिए तथा ४ लाख रुपये मशीनों की ढुलाई पर खर्च होता था । मशीनों की ढुलाई के लिए ४ लाख रुपये की मंजूरी मार्च, १९५९ में दी गयी थी, जिसमें से राज्य सरकार ने मिल को २.५० लाख रुपये दे दिये हैं । २० लाख रुपये में से कोई ऋण देने की स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

(ख) उक्त निश्चय के अनुसार पुनर्वास मंत्रालय की सिफारिश पर एक औद्योगिक

‡[] Hindi translation.

लाइसेंस दिया गया था। मिल ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है।

(ग) थापरनगर, मेरठ का फार्म मैमर्स बी० डी० गु० एण्ड ब्रर्स इस चीनी मिल की मालिक है। कारखाने का इमारत, गोदाम, कारखाने तथा जाने वाली सड़कों, बिजली की लाइनों आदि का निर्माण काम अंशतः पूरा हो गया है। विभिन्न संघर्ष विभागों की मशिनों कारखाने के स्थल पर, कुछ की पुरी तथा कुछ को आंशिक रूप से, पहुंच रही हैं।]

श्री नवाबसिंह चौहान : स्टेटमेंट में बताया गया है कि २४ लाख रुपया इनको दिये जाने का स्वीकृति दी गई, जिसमें से २० लाख रुपया मशीनों आदि के लिये था और ४ लाख रुपया इनकी दुलाई के लिये था और इस में से सिर्फ २ लाख ५० हजार रुपये देने की स्वीकृति यू० पी० गवर्नमेंट ने दी है। इसका क्या कारण है? क्या सरकार समझती है कि इतने से उसका काम चल जायगा?

श्री मनुभाई शाह : कुछ ऐसी बातें सरकार की नज़र में आई हैं, जिनकी कि छानबीन की जा रही है?

श्री नवाबसिंह चौहान : इस सम्बन्ध में क्या ऐसी बातें हैं जो कि नज़र में आई हैं और कब से छानबीन हो रही है और कब तक छानबीन होगी।

श्री मनुभाई शाह : वह काफी दिनों से हो रही है और जब वह पूरी हो जायगी, तब उस पर तय किया जायगा।

श्री नवाबसिंह चौहान : क्या जब तक छानबीन होगी, तब तक इनको कोई रुपया नहीं दिया जायगा?

श्री मनुभाई शाह : यह छानबीन ही इस प्रकार की है कि इसके पूरा होने से पहले इस पार्टी को पैसा नहीं दिया जा सकता।

देवपुरी कालोनी, मेरठ में मकानों का हस्तान्तरण

***४४०. श्री नवाबसिंह चौहान :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६, १९५७ व १९५८ के वर्षों में देवपुरी कालोनी, मेरठ के कितने मकान उनमें रहने वाले विस्थापितों के क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दावों में, उन मकानों के मूल्य का समायोजन करके, उन्हें हस्तान्तरित किये गये;

(ख) यह कालोनी कम्पensation पूल में कब शामिल की गई; और

(ग) इनके पूल में लिये जाने के बाद कितने रहने वाले खरीदारों का किया जा साफ किया गया?

†[TRANSFER OF HOUSES IN DEVPURI COLONY, MEERUT

***440. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN:** Will the Minister of REHABILITATION AND MINORITY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of houses in Devpuri Colony, Meerut, which were transferred to the displaced occupants in the years 1956, 1957 and 1958 by adjusting the value of the houses from their compensation claims;

(b) when the colony was included in the compensation pool; and

(c) how many allottee purchasers were exempted from the payment of rent after its inclusion in the pool?]

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) क्लेमों के एवज में हर साल इस प्रकार क्वार्टर बचे गये :

१९५६	—
१९५७	५
१९५८	७
१९५९	४

†[]English translation.